

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार - T.A Misc case no. 20 /2017-18

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख के साथ

आवेदक/आवेदिका रविन्द्र नाथ
पिता/पति रविन्द्र नाथ अनुसूची जनजाति/उपजाति 87/3
चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर राजस्व थाना-चक्रधरपुर, अंचल चक्रधरपुर, जिला-पो
सिंहभूम ने क्रेता रविन्द्र नाथ पिता- रविन्द्र नाथ
अनुसूची जनजाति/उपजाति 87/3 के अन्तर्गत ग्राम- 88/3 (निमगु)
थाना-चक्रधरपुर/राजस्व थाना- अंचल जिला-पो
सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तान्तरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी
अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए" के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित
किया है। जमीन का विवरण है :-

मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मडगौर	523	होडा	279	827	09.32

आवेदक को रविन्द्र नाथ आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि
का रकबा 09.32 का कुल कीमत 1,00,000/- रुपये मात्र
में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए" के अन्तर्गत
बिक्री करना चाहते हैं।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन
स्पष्ट मन्तव्य सहित दिनांक 28/5/17 तक मांग करें।

अभिलेख दिनांक 28/5/17 को उपस्थित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।